

मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक / 219/654/12/20-1
प्रति,

भोपाल, दिनांक 14-02-2013

1. समस्त कलेक्टर,
2. समस्त आयुक्त, नगर निगम,
3. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत
4. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
5. समस्त सहायक आयुक्त आदिवासी विकास,
6. समस्त मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगर पालिका / नगर परिषद
7. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, मध्यप्रदेश।

विषय :- संविदा शाला शिक्षक पात्रता परीक्षा 2011-12 के ऑनलाईन आवेदन-पत्र पूर्ति में हुई त्रुटि में सुधार बावत्।

—0—

व्यावसायिक परीक्षा मण्डल भोपाल द्वारा आयोजित संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-1, 2 एवं 3 की पात्रता परीक्षा 2011-12 में आवेदकों द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र पूर्ति में की गई त्रुटि के सुधार के संबंध में निम्नलिखित अनुसार कार्यवाई की जाये :-

- 1- संविदा शाला शिक्षक पात्रता परीक्षा 2011-12 के ऑनलाईन आवेदन पत्र पूर्ति में आवेदक द्वारा की गई ऑनलाईन पूर्ति में यदि जन्म तिथि, जाति एवं निःशक्तता की प्रविष्टि के संबंध में त्रुटि की गई है तो प्रमाण पत्रों के जिला स्तर पर होने वाले सत्यापन के समय मूल प्रमाण पत्रों से मिलान कर सत्यापन अधिकारी द्वारा त्रुटि सुधार किया जाए।
- 2- ऐसे आवेदक जिनके द्वारा आवेदन पत्र पूर्ति के समय यथा स्थिति डी.एड / बी.एड. की उपाधि / डिप्लोमा (संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-1 के लिए बी.एड., संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-2 के लिए बी.एड. / डी.एड. तथा संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-3 के लिए डी.एड.) प्राप्त किया गया है तथा ऑनलाईन आवेदन पत्र की पूर्ति में त्रुटि की गई है, इस त्रुटि को भी कंडिका-1 में उल्लेखित प्रक्रिया अनुसार सुधार किया जाए।
- 3- उपरोक्त कंडिका 1 एवं 2 में त्रुटि सुधार के लिए व्यावसायिक परीक्षा मण्डल के संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-1, 2 एवं 3 के डेटाबेस का उपयोग किया जाये। त्रुटि सुधार की अंतिम कार्यवाही एम.पी. ऑनलाईन द्वारा की जाकर व्यावसायिक परीक्षा मण्डल को प्रस्तुत करने पर संशोधित डेटाबेस के आधार पर व्यावसायिक परीक्षा मण्डल पात्रता परीक्षा परिणाम की संशोधित मेरिट लिस्ट जारी करेगा।


14/02/13

(एल0एल0राजौरिया)

अवर सचिव

म.प्र शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

पृ०क० २२०/६५५/१२/२०-१

भोपाल, दिनांक १५-०२-१३

1. निज सहायक, मा. मंत्री जी, म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा मंत्रालय, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
4. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
5. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, सतपुडा भवन भोपाल।
6. आयुक्त, लोक शिक्षण / राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल।
7. आयुक्त, जनसंपर्क विभाग, भोपाल।
8. संचालक, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, चिनार पार्क, अरेरा हिल्स भोपाल की ओर बैठक दिनांक 24.11.2012 के अनुक्रम में सूचनार्थ।
9. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश।

R. S. S.
15/02/13

अवर सचिव

म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग